

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -16/2021-22

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

विमला देवी वगैरह बनाम परेश नाथ महतो

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

14.09.21
विक्रेता का नाम एवं पता -

1.विमला देवी पति-स्व० लाल मोहन महतो,
ग्राम-तिलाईपीड़ी, पो०-पंडाडीह, थाना-सोनाहातु,
जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी,
2.सोहन महतो पिता-स्व० हिकीम महतो,
ग्राम-तिलाईपीड़ी, पो०-पंडाडीह, थाना-सोनाहातु,
जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी,
पेशा-खेतीबारी।

क्रेता का नाम एवं पता -

परेश नाथ महतो पिता-स्व० गंधर्व महतो,
ग्राम-तिलाईपीड़ी, पो०-पंडाडीह, थाना-सोनाहातु,
जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी,
पेशा-खेतीबारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री गिरेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-01/06/2021 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता परेश नाथ महतो पिता-स्व० गंधर्व महतो, ग्राम-तिलाईपीड़ी, पो०-पंडाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी, पेशा-खेतीबारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की विक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

आवेदिका द्वारा विक्री योग भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
माहील	सोनाहातु/05	202	1316	11.5 डी० चौहददी:- उ०-मेघनाथ महतो व मृत्युंजय महतो। द०-नीज। पू०-भोंदा महतो। प०-दिलीप कुमार महतो।

९

			1200	17 डी० चौहद्दी:- उ०-अनिल महतो। द०-मनीराम महतो। पू०-तुलसीदास महतो। प०-नरसिंह महतो।
--	--	--	------	--

आवेदक द्वारा विक्री योग भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
माहील	सोनाहातु/05	202	1355	11 डी० चौहद्दी:- उ०-क्रेता नीज। द०-युगल किशोर महतो। पू०-राजेन्द्र प्रसाद महतो। प०-विमला देवी।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक-439(ii) दिनांक-07/07/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

- (1) प्रस्तावित जमीन के खयितानी रैयत वाउरी महतो वगैरह के नाम से दर्ज है।
- (2) खतियानी रैयत/पंजी II रैयत के विक्रेतागण का संबंध पिता-पुत्र का है।
- (3) पंजी II के अनुसार रैयत का नाम मो० सुदु, गुडुआ महतो, हीकीम महतो, बुचु महतो है। तथा रैयत के पास रकबा-8.01 एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2020-21 तक वसूली गयी है।
- (5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेतागण का संबंध पुत्री एवं पुत्र का है। तथा खतियान के आधार जमाबंदी कायम है।

२


- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात भी विक्रेता के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि बचता है।
- (8) विक्रेतागण प्रस्तावित जमीन को मकान बनाने एवं पुत्री का विवाह हेतु बिक्री कर रहे हैं।
- (9) क्रेता एवं विक्रेतागण कुरमी जाति के सदस्य हैं।
- (10) क्रेता एवं विक्रेतागण एक ही जिला के निवासी हैं।


उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता 1.विमला देवी पति-स्व० लाल मोहन महतो, ग्राम-तिलाईपीड़ी, पो०-पंडाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी, 2.सोहन महतो पिता-स्व० हिकीम महतो, ग्राम-तिलाईपीड़ी, पो०-पंडाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी, पेशा-खेतीबारी, को क्रेता परेश नाथ महतो पिता-स्व० गंधर्व महतो, ग्राम-तिलाईपीड़ी, पो०-पंडाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी, पेशा-खेतीबारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-01/06/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त वर्णित भूमि की विक्रेता 1.विमला देवी पति-स्व० लाल मोहन महतो, ग्राम-तिलाईपीड़ी, पो०-पंडाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी, 2. सोहन महतो पिता-स्व० हिकीम महतो, ग्राम-तिलाईपीड़ी, पो०-पंडाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी, पेशा-खेतीबारी, को क्रेता परेश नाथ महतो पिता-स्व० गंधर्व महतो, ग्राम-तिलाईपीड़ी, पो०-पंडाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी, पेशा-खेतीबारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।